



पूर्वी क्षेत्र के लिए भा0कृ0अनु0प0 का अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, पलाण्डू, राँची  
ICAR Research Complex for Eastern Region, Research Centre, Ranchi  
पलाण्डू, राँची-834010 (झारखण्ड) Plandu, Ranchi 834010 (Jharkhand)  
Phone No.0651-2260207,2260141 Fax-2260141




## निविदा सूचना 02/16-17

### केचुआ खाद आपूर्ति के संदर्भ में

सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की तरफ से इस अनुसंधान केन्द्र पर संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से एक वर्ष (01.05.2016 से 30.04.2017 तक) के लिए करीब 30 टन केचुआ खाद (फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर के शेड्यूल में निर्दिष्ट मापदंड के अनुरूप) प्रक्षेत्र -1, (पलाण्डू) एवं प्रक्षेत्र-2, (चूरु ) में आपूर्ति के लिए निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा पत्र दिनांक 21.04.2016 से 28.04.2016 तक अपराह्न 4.00 बजे तक 300.00 रुपये नगद भुगतान के पश्चात् (जो लौटाया नहीं जायेगा) प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 29.04.2016 के 12.30 बजे अपराह्न तक जमा किया जा सकता है एवं उसी दिन 2.30 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा। तिथि में फेर बदल करने की सूचना मात्र कार्यालय के सूचना पट्ट पर दी जायेगी।

विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र पर उल्लेखित है जिसे संस्थान के वेबसाइट संख्या [www. icarrcer.res.in](http://www.icarrcer.res.in) पर भी देखा जा सकता है। वेबसाइट से प्राप्त निविदा के साथ **Head, ICAR-RCER, Ranchi** के नाम 300.00 रुपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

  
सहायक प्रशिक्षण अधिकारी



निविदा संख्या-02/16-17

विषय : पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, राँची के प्रक्षेत्र-1 ( पलाण्डु ) एवं प्रक्षेत्र-2 (चुरु) पर एक वर्ष (01.05.2016 से 30.04.2017 तक) Annual Rate Contract के आधार पर केचुआ खाद आपूर्ति करने के संदर्भ में।

प्रधान, पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अनु.प. का अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, प्लान्डू, राँची/निदेशक, पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अनुसंधान परिसर, पटना/सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली -110001 की तरफ से दिनांक 29.04.2016 के 12.30 बजे अपराहन तक मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित है। लिफाफा के ऊपर "केचुआ खाद की आपूर्ति के संदर्भ में" लिखा होना चाहिए।

क्रम सं०	आपूर्ति की जाने वाली खाद का विवरण	अनुमानित वार्षिक क्य	खाद का दर पलांडू, प्रक्षेत्र-1 पर पहुँचाने का
1.	केचुआ खाद फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर के शेड्यूल में निदेशित मापदंड के अनुरूप	30 टन	

1. इस कार्यालय से निविदा पत्र (अहस्तांतरणीय) 300.00 (तीन सौ रुपये मात्र) नगद भुगतान कर दिनांक 21.04.2016 से 28.04.2016 तक अपराहन 4.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। वेबसाइट से प्राप्त निविदा के साथ Head, ICAR-RCER, Ranchi के नाम 300.00 रुपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
2. अग्रधन राशि: 10,000.00 (दस हजार रुपये मात्र) अग्रिम राशि के रूप में एकाउन्ट पेयी ड्राफ्ट जो भारतीय स्टेट बैंक, नामकुम पर देय प्रधान, पूर्वी क्षेत्र के लिए भा0कृ0अनु0प0 का अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, पलांडू, राँची के रूप में या इस कार्यालय में नगद राशि के रूप में जमा करना होगा। अग्रधन राशि के बिना कोई भी निविदा मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार की राशि जो पूर्व में जमा की गई हो उसकी ई.एम.डी. के रूप में हस्तानांतरण हेतु अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
3. निविदा बन्द लिफाफा में जमा किया जायेगा जिसके ऊपर निविदा सं० 02/16-17 "केचुआ खाद की आपूर्ति करने के संदर्भ में" लिखी होनी चाहिए। निविदा कार्यालय में उपलब्ध निविदा बाक्स में अथवा पंजीकृत डाक (ए.डी. सहित) द्वारा भेजी जा सकती है। यह सुनिश्चित करते हुए कि निविदा निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व इस कार्यालय को प्राप्त हो। डाक से भेजने पर कोई क्षति/देरी के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
4. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 29.04.2016 को अपराहन 12.30 बजे तक है।

5. निविदा खुलने की तिथि एवं समय 29.04.2016 को अपराहन 2.30 बजे है।
6. निम्न कागजात निविदा के साथ आवश्यक है :-
  - पैन नम्बर/इन्कम टैक्स क्लियरन्स सर्टिफिकेट
  - अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।
  - केचुआ खाद तैयार किये जाने के लिए झारखण्ड सरकार से निर्गत फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर 1985 के तहत रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस की प्रति।
  - केचुआ खाद की गुणवत्ता फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर के शेड्यूल में निदेशित मापदंड के अनुरूप होना चाहिए।
  - गुणवत्ता/परीक्षण प्रमाण पत्र **Regional Centre for Organic Farming, Govt. of India** से हाल में निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।
7. निविदा खोलने के बाद कोई भी अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. भुगतान प्री-रिसीप्टेड विपत्र प्राप्ति के पश्चात्/संतोषप्रद कार्य किए जाने के उपरांत दस दिनों के अन्दर एकाउन्ट पेयी कौंस चेक द्वारा किया जाएगा।
9. दरों की वैद्यता कम से कम बारह महीने तक की होनी चाहिए। संतोषप्रद कार्य होने पर अगले छः महीने के लिए भी दर की वैद्यता, संवेदक के निवेदन पर किया जा सकता है। बारह महीने से कम वैद्यता वाले निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. ठीकेदार अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा संस्थान को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर इसकी क्षतिपूर्ति नियमानुसार संबंधित ठीकेदार से की जायगी।
11. सभी विवादों के निपटारा का क्षेत्र राँची होगा।
12. उपर्युक्त निविदा से सम्बन्धित सर्वाधिकार, प्रधान, पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अनु.प. का अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, प्लांडू, राँची/निदेशक, पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अनुसंधान परिसर, पटना को सुरक्षित होगा।

सहायक प्रशासन अधिकारी